

Reg No 177/2008-2009

ISSN: 2322-0317

PSSH PERSPECTIVE *of*
SOCIAL SCIENCES
and HUMANITIES

An International Multidisciplinary Refereed Research Journal

VOL 2, NO 2

JULY - DECEMBER 2010

Biannual

Editor

Dr Hemant Kumar Singh

Assistant Professor

Economics Department

Madan Mohan Malviya PG College

Deoria (UP)

Publisher

Herambh Welfare Society

Varanasi (India)

वर्तमान में आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली एवं उपयोगिता

दिनेश कुमार¹

वर्तमान वर्षों में व्यापार एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के आकार एवं विविधता में जिस तीव्र गति से विकास एवं प्रगति हो रही है, उस गति से विविधता में सन्तुलन बनाये रखने के लिए आज आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली का कार्य अत्यन्त आवश्यक हो गया है। आज प्रत्येक बड़े संस्थान एवं प्रतिष्ठान द्वारा विष्वव्यापी व्यापार के विस्तारीकरण के लिए एवं उत्पादन में वृद्धि के लिए हजारों कर्मियों की नियुक्ति की जाती है। इन्हीं कर्मियों के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों एवं विदेशों में भी कई क्षेत्रों से व्यापार का संचालन किये जाते हैं। इसलिए ऐसे संगठनों एवं बड़े प्रतिष्ठानों के प्रबन्ध तन्त्र के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह विशेषज्ञों के समूह से एक ऐसा संगठन या प्रकोष्ठ अपने संस्थान के अन्तर्गत स्थापित करे जो समय-समय पर इस आषय का जाँच करे कि संस्थान के सभी विभागों द्वारा दक्षतापूर्वक कार्यों का क्रियान्वयन निर्धारित नीति योजना इत्यादि द्वारा किया जा रहा है। लेकिन किसी विभाग, अनुभाग के कर्मियों द्वारा यदि इन नीतियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा तो इसकी सूचना तत्काल प्रबन्धतन्त्र को अवगत कराये जाने का उत्तरदायित्व आन्तरिक लेखा परीक्षा संगठन का है जिससे प्रबन्धतन्त्र द्वारा आवश्यकतानुसार कार्य किया जाना सम्भव हो सके।

आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विवरणों की शुद्धता एवं यर्थाथता की जाँच सही रूप से किया जाना होता है। यह विवरण संस्थान के कार्य एवं स्थिति के समाधान में सही जानकारी दे सके। अंकेक्षण का मुख्य आशय जाँच करना होता है लेकिन प्राचीन काल में व्यवसाय का स्वरूप प्रायः संक्षिप्त हुआ करता था इसलिये उनका लेन-देन सीमित हुआ करता था इसके फलस्वरूप अंकेक्षक समस्त लेन-देन को सुनकर ही उसके सुनकर ही अपना विचार प्रकट किया करते थे किन्तु वर्तमान समय में अंकेक्षण का उद्देश्य सर्वाधिक व्यापक हो गया है। लेखा पुस्तकों की सत्यता की एवं वास्तविकता की स्थिति को प्रकट करने के लिये जाँच किसी लेखा परीक्षक से करता है तथा पूरी लेखा पुस्तको की जाँच के बाद ही शुद्धता एवं सत्यता के बारे में एक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है इसी को अंकेक्षण कहते हैं। यह अंकेक्षण व्यवस्था संस्था के विष्वासी, अनुभवी तथा ईमानदार कर्मचारियों के द्वारा कराया जाता है यह अंकेक्षण व्यवस्था उच्च अधिकारियों के अध्यक्षता में किया जाता है। आन्तरिक अंकेक्षण करने वाले कर्मचारी

¹ असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, म0 गा0 काशी विद्यापीठ-एन.टी.पी.सी. परिसर, शक्तिनगर, सोनभद्र।

संस्था एवं प्रबंध तन्त्र के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

वर्तमान समय में बड़ी-बड़ी कम्पनियों चाटर्ड एकाउण्टेण्ट को नियुक्त करके कर्मचारी के रूप में आंकेक्षण का कार्य करवाती हैं। इसमें आन्तरिक लेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन न देकर बल्कि संस्था के प्रबन्ध तन्त्र को अपना सुझाव देता है जो कि व्यवसाय संचालन में सहायक सिद्ध होता है।

वर्तमान में अंकेक्षण कार्य वित्तीय लेखों तक सीमित न हो कर बल्कि इसका क्षेत्र काफी व्यापक हो गया है। आज अंकेक्षण के अन्तर्गत मात्र अंकेक्षण कार्यक्रम का निर्धारण, प्रमाणको का परीक्षण एवं संकलन तथा मूल्यवान निष्कर्ष की प्राप्ति तथा निष्कर्ष के आधार पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तक ही सीमित नहीं है, आज वस्तुतः अंकेक्षण का क्षेत्र उस संस्था के प्रबन्धतन्त्र की व्यवस्था, उसकी उत्पादकता, एवं उपयोगिता, लागत लेखा के परीक्षण, राजस्व प्राप्ति के प्रति उस संस्था के प्रबन्ध तन्त्र की तत्परता तथा संस्था संपादन तक अंकेक्षण का कार्य काफी विस्तृत है। किसी संगठन या संस्था के प्रबन्धतन्त्र के लिए वर्तमान समय में आन्तरिक-लेखा-परीक्षा संगठन का सहयोग सम्पूर्ण व्यवस्था को नियमानुकूल रखने के लिए एक सषक्त माध्यम है। आज के समय में आन्तरिक लेखा परीक्षा को प्रबन्ध तन्त्र की भुजा, आँख, कान कहा जा सकता है। यह एक स्वाभाविक घटना है कि जितना बड़ा संगठन होगा उतना ही बड़ा संस्था का आकार एवं टर्न ओवर की मात्रा विषाल होगा। उसी के अनुसार प्रबन्ध तन्त्र तथा प्रशासनिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों के बीच आन्तरिक सम्बन्ध की खाई या अन्तराल उतना ही व्यापक होता है।

परिणामस्वरूप उस संस्था के समस्त इकाई निर्धारित नीति के अनुसार संस्था हित में कहीं तक कार्य कर रही है इसकी जानकारी प्रत्येक निर्धारित अन्तराल के बाद प्रबन्धतन्त्र को अवगत होना आवश्यक है। वर्तमान व्यापार एवं वाणिज्य के गति-प्रकृति ने दिन-प्रतिदिन हो रहे अभिवृद्धि एवं परिवर्तन किसी भी संगठन के प्रबंधतन्त्र के लिए संगठन के कार्यक्षेत्र पर प्रभावी नियन्त्रण रख पाना एक विषाल चुनौती हो गया है। चूंकि प्रबन्धतन्त्र के नीति निर्धारण एवं निर्णय लिए जाने सम्बन्धी कार्यों के बोझ से इतना अधिक दबा रहता है कि उनके लिए समयाभाव के कारण नियमित रूप से यह देखा जाना या नियंत्रित किया जाना सम्भव नहीं होता है कि संगठन में समस्त विभागों एवं अनुभागों द्वारा संगठन के उद्देश्यों तथा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निर्धारित नीति एवं योजनानुसार कार्य किया जा रहा है।

अतः आज प्रत्येक बड़े संगठन विशेषकर सार्वजनिक उपक्रमों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह अपने अन्दर ही ऐसा संगठन या विभाग स्थापित करे जो नियमित रूप से यह पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करे की प्रबंधतन्त्र द्वारा निर्धारित नीति एवं योजनानुसार कार्यक्रम का क्रियान्वयन हो रहा है अथवा नहीं, इसी विभाग को आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली या सेल कहा गया है।

आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली के कार्य एवं क्षेत्र:

आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली के कार्य एवं क्षेत्र में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सकता है जिसका विवरण अधोलिखित है:

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा प्रक्रिया की समीक्षा

(क) अंकेंक्षक को यह देखना होगा कि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली संस्था के संगठनात्मक संरचना के अनुरूप है।

(ख) जहाँ भी सम्भव हो आन्तरिक नियन्त्रण की प्रणाली अपनी सम्बन्धित कार्य विधि के अन्तः निर्मित होनी चाहिए तथा अलग-अलग कार्य विधियों के लिए अलग-अलग नियन्त्रण विभागों को कम से कम उपयोग में लाई जानी चाहिए।

(ग) प्रत्येक आन्तरिक नियन्त्रण को उसकी लागत तथा लाभ दोनों की कसौटी पर परखना चाहिए।

(घ) अंकेंक्षक को यह भी देखना होगा कि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्पूर्ण जाँच की अवधि में उपयोग में रही है तथा मध्य अवधि में उसमें कोई बड़े परिवर्तन तो नहीं किये गये हैं।

सम्पत्तियों के रख-रखाव एवं सुरक्षा की समीक्षा

अंकेंक्षक को यह भी देखना होगा कि क्या नियन्त्रण तन्त्र यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है कि सभी सम्पत्तियाँ पूर्णतः लेखा पुस्तकों में दर्ज हैं। साथ ही उसे उन उपायों की भी समीक्षा करनी होगी जो सम्पत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए किये गये हैं। उसे सम्पत्तियों की वास्तविक जाँच भी करनी चाहिए।

नीतियों, योजनाओं, प्रविधियों तथा नियम व विधानों के पालन की समीक्षा:

कर्मचारियों की नीतियों, नियमों आदि के पालन के लिये सही व समयानुसार जानकारी का मिलना आवश्यक है। अतः आन्तरिक अंकेंक्षक को यह देखना चाहिये कि क्या प्रबन्धन ने ऐसी कोई प्रक्रिया बना रखी है जिसके द्वारा प्रत्येक कर्मचारियों को उसकी दायित्वों तथा अधिकारों के अनुसार जरूरी नीतियों, योजनाओं इत्यादि की बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। उसे यह भी देखना चाहिये कि क्या प्रबन्ध महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सृजन या उनमें बदलाव से पहले वर्तमान तथा भविष्य में उससे होने वाले वित्तीय प्रभावों को ध्यान में रखता है।

सूचनाओं की प्रासंगिकता तथा विश्वसनीयता की समीक्षा:

अंकेंक्षक को बाहरी संस्थानों जैसे— व्यापार संघों, श्रमिक संघों, सरकारी संस्थानों इत्यादि आन्तरिक स्तर पर प्रबन्धन के विभिन्न कार्यकर्ताओं तथा निदेशक मण्डल को दी जाने वाली प्रतिवेदन में निहित सूचनाओं की विश्वसनीयता तथा प्रासंगिकता के मूल्यांकन के लिये संगठन के सूचना तन्त्र की समीक्षा करनी चाहिये। साथ ही उसे उन दस्तावेजों की सही से जाँच भी करनी चाहिये। साथ ही उन प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करना चाहिये जिनके द्वारा ली गयी सूचनाओं को वर्गीकृत तथा समायोजित करके प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाता है उसे प्रतिवेदन की समयबद्धता की भी समीक्षा करनी चाहिये।

संगठन संरचना की समीक्षा:

अंकेंक्षक को संगठन संरचना की समीक्षा यह ज्ञात करने के लिए करनी चाहिए कि क्या यह संगठन के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है अथवा इसमें बदलाव की जरूरत है। साथ ही संगठन संरचना के चार्ट के अध्ययन से यह

भी पता लगाना चाहिए की संरचना सरल तथा कम लागत वाली है उसे मुख्यतः यह अवश्य जाँच करना चाहिए कि प्रबंधकीय अधिकारियों और संचालन विभाग के अधिकारियों को मिले अधिकारो तथा उत्तरदायित्वों में सामंजस्य तथा किसी भी विषय पर दोनो के अधिकारों में कोई पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ प्रबंधकीय विकास की प्रक्रिया की समीक्षा भी यह ज्ञात करने के लिए की जानी चाहिए कि वरिष्ठ लोगो के सेवा निवृत्त होने पर उनके कार्यभार को संभालने के लिये उचित प्रशिक्षण व्यवस्था की गयी है।

संसाधनों के उपयोग की समीक्षा:

कुछ संसाधन उपयोग के कारण घटते हैं तथा कुछ उत्पादन में इस्तेमाल की गयी मशीनें, कच्चा माल, बिजली इत्यादि। कुछ संसाधन उपयोग से नहीं बल्कि गलत व्यवस्था के कारण घटते हैं जैसे ख्याति आदि। ऐसे में अंकेंक्षक या लेखा परीक्षक को यह देखना आवश्यक होता है कि क्या इन संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जा रहा है? इसके लिये प्रबन्धन द्वारा स्थापित मानक परिचालन प्रक्रिया को मापदण्ड मानकर चलाया जा सकता है। उसे यह भी देखना चाहिये कि यह मापदण्ड इतने व्यापक तथा विवरणात्मक है कि उनके प्रयोग में काहीं कोई अवरोध तो नहीं है।

वास्तविक परिणामों तथा मापदण्डों में विचलन का अध्ययन करना चाहिये अगर दोना में व्यापक विचलन हो तो वास्तविक परिचालन प्रक्रिया की समीक्षा के साथ-साथ संगठनों द्वारा स्थापित मानकों की जाँच करनी चाहिये कि वे आवश्यक व उपयुक्त है अथवा नहीं। अंकेंक्षक को उन संसाधनों तथा सेवाओं की भी पहचान करनी चाहिये जो अल्प-प्रयुक्त है जैसे- अनुपयुक्त मशीनें, श्रम शक्ति, रोकड़ इत्यादि। कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्यों का मिलान उनके कार्य विवरण से कर के कम स्टापिंग वाले तथा अधिक स्टापिक वाले विभागो की पहचान भी कर सकता है।

उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति की समीक्षा:

अंकेंक्षक को संगठन या कम्पनी के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की समीक्षा करके यह जाँचना चाहिये कि क्या वे स्पष्ट तरीके से व्यक्त है या प्राप्त करने योग्य हैं। व्यापार में होने वाले आन्तरिक तथा बाहरी परिवर्तनों के हिसाब से कम्पनी के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों में भी बदलाव होना चाहिये। अंकेंक्षक को यह देखना चाहिये कि उद्देश्यों को ज्यादातर मात्रात्मक आंकड़ों में प्रस्तुत किया गया हो। इससे नियोजन तथा बजटिंग में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त जिन विभागीय प्रबन्धन कर्मचारियों पर उद्देश्यों के प्राप्ति की जिम्मेदारी है, उन्हें भी इस कार्य को निर्धारित करने में भाग लेना चाहिये जिससे विभागीय समस्याओं को भी सामने रखा जा सके।

उपर्युक्त तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान परिदृश्य में आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली स्थापित करके किसी भी संगठन या संस्था का समुचित वित्तीय आँकड़ों को सही एवं मूल उद्देश्यों को पूरा करने में सफलता हासिल की जा सकती है।

संदर्भ

1. अंकेक्षण: डॉ टी0आर0 शर्मा, 2006, साहित्य पब्लिकेशन, आगरा।
2. अंकेक्षण: डॉ वी0के0 मेहता, 2007, साहित्य पब्लिकेशन, आगरा।
3. अंकेक्षण : सिद्धान्त एवं व्यवहार, बी0एन0 टण्डन, 2001, एस0 चन्द एण्ड कम्पनी, रामनगर, नई दिल्ली।
4. उच्च अंकेक्षण: योगेश चौधरी एवं श्वेता चौधरी, जुलाई 2008।
5. अंकेक्षण : सिद्धान्त एवं व्यवहार, जी0डी0 वर्मा, प्रदीप कुमार, बलदेव सचदेवा, जगवंत सिंह, 2000, कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली।